Enquiry into mysterious disappearance of Netaji

1145. SHRI JOYANTA ROY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether division bench of the Calcutta High Court in its judgement on the 13th April, 1998, directed the Government to institute a vigorous enquiry into the mysterious disappearance of Netaji Subhash Chandra Bose since 18th August, 1945; and

(b) if so, what steps Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration of the Government of India.

Defence Officers in the warrant of precedence

1146. SARDAR GURCHARAN SINGH TOHRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Defence Forces Officers have been continuously down-graded from time to time in the Warrant of Precedence of Government;

(b) if so, whether it does not affect their esteem, sense of pride and morale; and

(c) whether Government will take measures to restore their previous status to some extent considering their role and contribution towards defence of the country?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) No, Sir. There is no significant change in the relative positions in the Warrant of Precedence since Independence so far as Defence Forces Officers are concerned.

(b) and (c) Do not arise.

वोहरा समिति रिपोर्ट

1147. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में वोहरा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट का अध्ययन किया है और इसके सुझावों पर गहन विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी):

(क) और (ख) वोहरा समिति की रिपोर्ट सरकार को 5.10.1993 को प्रस्तुत की गई। समिति उपलब्ध सूचना का विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंची:—

(i) हमारी विभिन्न संबंधित आसूचना, अन्वेलषण और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा हासिल व्यापक अनुभव के आधार पर, यह स्पष्ट है कि आपराधिक सिंडिकेटों और माफिया संगठनों ने देश के विभिन्न भागों में अपनी जड़े मजबूत कर ली हैं;

(ii) विभिन्न आपराधिक सिंडिकेटों/माफिया संग-
ठनों ने काफी अधिक धन तथा बाहुबल अर्जित कर लिया है और सरकारी पदाधिकारियों, राजनैतिक नेताओं और अन्य लोगों के साथ संबंध कायम कर लिए हैं जिससे वे बिना दंडित हुए अपनी गतिविधियां चला सकते हैं;

(iii) आसूचना एजेंसियों और राजस्व विभाग के अधीन विभिन्न एजेंसियों को अपने सामान्य कामकाज के दौरान आपराधिक सिंडिकेटों/माफिया संगठनों के संबंधों के बारे में सूचना मिलती रहती है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अंतर्गत उनसे ऐसी सूचना किसी पहचानशुदा नोडल एजेंसी को देने की आशा की जाये। इस प्रकार की सूचना का आदान-प्रदान इस समय कभी कभार ही होता है और ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि इस प्रकार की सूचना का प्रवर्तनात्मक इस्तेमाल किया गया हो;

(iv) यदि किसी एजेंसी को आपराधिक सिंडिकेटों के संबंधों के बारे में कुछ सूचना मिलती